

R 472- I-17

समक्ष मान्नीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. / /

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार

- संजय सिंह परस्ते पिता श्री प्रयोत्तम परस्ते जाति गौड (आदिवासी) निवासी-सालीवाडा तह. व जिला जबलपुर

विरुद्ध


अनावेदक

- 1. संजय सिजोय मार्टिन पिता श्री ओसमिण्ट संतोष कुमार मार्टिन निवासी-मंडला रोड, बिलहरी, जबलपुर
- 2. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

1. मान्नीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 04/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दि. 27/01/2017 (Annexure-1) से व्यथित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

यह कि संजय सिंह परस्ते पिता श्री प्रयोत्तम परस्ते जाति गौड (आदिवासी) निवासी-सालीवाडा तह. व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम पुरवा प.ह.नं. 57/93, रा.नि.मं. खमरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 105 रकवा 0.16 हेक्टेयर भूमि को विक्रय करने की अनुमति संजय सिजोय मार्टिन पिता श्री ओसमिण्ट संतोष कुमार मार्टिन निवासी-मंडला रोड, बिलहरी, जबलपुर हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 05.10.2016 (Annexure-2) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।



31 JAN 2017

Handwritten signature/initials

दिनांक 2-2-17 का
 क्र. 472- I-17
 कागज क्र. 17
 50

Debat
 02.02.17


XXXIX(a)BR(H)-11


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 472-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
Q-2-17	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 27-1-17 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- आवेदक एवं अनावेदक कं. 2 शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं मालिकाना हक की ग्राम पुरवा प.ह. नं. 57/93 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 105 रकबा 0.160 हेक्टर भूमि गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक-1 विक्रय करने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पर से कलेक्टर द्वारा प्रकरण दिनांक 5-10-16 को पंजीबद्ध कर दिनांक 27-2-17 के लिए ग्राह्यता पर तर्क हेतु नियत किया गया। इसके उपरांत आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष दिनांक 27-1-17 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया गया जो कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया जाकर प्रकरण पूर्ववत् दिनांक 21-2-17 के लिए नियत किया गया है। कलेक्टर के इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की गई है। कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और लंबी पेशी नियत कर दी गई है। आवेदित भूमि शासकीय पट्टे की</p>	






निगा. 472. I/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>भूमि नहीं है बल्कि आवेदक की स्वअर्जित भूमि है। आवेदक की समाज के व्यक्ति भूमि को कय करने को तैयार नहीं है। आवेदक को कर्ज अदा करने आदि के कारण रूपयों की आवश्यकता है। आवेदक की भूमि विक्रय करने के संबंध में बात गैर आदिम जनजाति के कुछ व्यक्तियों से चल रही है परंतु वे भूमि मिलने के उपरांत ही भूमि कय करने की बात कह रहे हैं। जिलाध्यक्ष द्वारा प्रकरण में ग्राह्यता पर तर्क के लिए लंबी पेशी नियत कर दी गई है जबकि आवेदक द्वारा जो आधार दिए गए हैं वे भूमि विक्रय की अनुमति देने हेतु पर्याप्त हैं। अंत में उनके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने का निवेदन किया गया है। आवेदक की ओर से जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनसे स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य की है जो उसके द्वारा कय की गई है उक्त भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है। विक्रय हेतु आवेदित भूमि के अतिरिक्त आवेदक के पास 4.109 हेक्टर भूमि शेष बच रही है, जो उसके जीवन यापन के लिए पर्याप्त है। आवेदक द्वारा यह कहा गया है कि उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है, उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा संहिता की धारा 165 (6) के तहत भूमि विक्रय की अनुमति चाही गई है। आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए इस प्रकरण में उनको भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है। दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर के समक्ष आलौच्य प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके स्वामित्व की ग्राम पुरवा प.ह.नं. 57/93 रा.नि.मं. खमहरिया तहसील व जिला</p>	

P/S



4 ~

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 472-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
R/ASL	<p>जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 105 रकबा 0.160 हेक्टर भूमि गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक-1 को निम्न शर्तों के साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-</p> <ol style="list-style-type: none">1- प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अधिक राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा <p>निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।</p> <p style="text-align: right;">(एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर</p>	